निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक- C-4916 /स०क०/शिक्षा-अ/9/602-2 (ख)/2024-25

लखनऊ दिनांक 07 मार्च, 2025

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों से ग्रेडिंग का विवरण प्राप्त कर परीक्षण करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक- C-4649 दिनांक 24-02-2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 14 बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण कराते हुए नियमावली के समस्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के डाटा पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से समयान्तर्गत निर्णय लेने एवं नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

अवगत कराना है कि निदेशालय पत्र दिनांक 24-02-2025 के बिन्दु संख्या-11 में उल्लिखित है कि नियमावली के नियम-6 (xvii) (क) एवं (ख) में प्राविधान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

अतः उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में स्थित तथा मास्टर डाटा में AISHE Code वैलिडेशन के उपरांत सम्मिलित समस्त शिक्षण संस्थानों से उक्तानुसार ग्रेडिंग का विवरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च तक प्राप्त कर संरक्षित कर लिया जाय तथा अपने स्तर पर परीक्षण करते हुए संस्थावार ग्रेडिंग सम्बन्धी अभिलेख दिनांक 02-04-2025 तक निदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
कानपुर नगर।

सेवा मे,

1– संयुक्त निदेशक, आई0टी0आई0, कानपुर नगर।
2– मण्डलीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
3– रजिस्ट्रार/प्राचार्य, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर नगर।
4– रजिस्ट्रार/प्राचार्य, रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर।
5– रजिस्ट्रार/प्राचार्य, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर नगर।
6– रजिस्ट्रार/प्राचार्य, छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर नगर।
7– रजिस्ट्रार/प्राचार्य, यू0पी0टी0टी0आई0, कानपुर नगर।
8– प्राचार्य/रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य, समस्त दशमोत्तर शैक्षिणिक संस्थाए, कानपुर नगर।

पत्रांक :C-7491/स0क0/द0छात्र0यो0/2024–25/ दिनांक 22/03/2025

विषय:– **<u>वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों से ग्रेडिंग का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।</u>**

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी–4916/स0क0/शिक्षा–अ/9/602–2(ख) दिनांक 07 मार्च 2024 के क्रम में नियमावली के नियम–6(xvii) (क) एंव(ख) में प्राविधान है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 से केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को NAAC(National Assessment & Accreditation Council and autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025–26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकि पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA(National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025–26 शिक्षण सत्र से NBA(National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि AISHE Code वैलिडेशन के उपरान्त मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित शिक्षण संस्थानों का विवरण एंव ग्रेडिंग सम्बन्धी अभिलेख दिनांक 31 मार्च 2025 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें ताकि वॉछित अभिलेखों का परीक्षण निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ प्रेषित किये जा सके।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शिल्पी सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
कानपुर नगर।

पृष्ठांकन संख्या तद्दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3– मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
4– उपनिदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner